पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0न0 — 237 / 2024

उनवान : —

1. भीमसिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. मुकेश पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री दयानन्द पत्नी रजनीश जाति जाट निवासी आसन हाल रामसरा ताल तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
3. सन्तरो पुत्री दयानन्द पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी आसन हाल मलसीसर तहसील भादरा।
4. रेशमा पत्नी दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा आसन के खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 137, 188, 55 कुल खसरा 3 की कुल 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दयानन्द के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दयानन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सख्या 1 भीमसिंह, वादी संख्या 2 मुकेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 4 रेशमा को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 237/2024

मकवान :

1. भीमसिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. मुकेश कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री दयानन्द पत्नी रजनीश जाति जाट निवासी आसन हाल रामसरा ताल तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
3. सन्तरो पुत्री दयानन्द पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी आसन हाल मलसीसर तहसील भादरा।
4. रेशमा पत्नी दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : कृष्ण भारी: वादी

वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 02.14.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0नं0 137, 188, 55 कुल खसरा 3 की कुल 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयानन्द के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी भीमसिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा आसन खाता संख्या 28 सम्वत 2073-76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा आसन संवत 2073—2076 खाता संख्या 29 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 3 तथा जमाबंदी रोही मौजा आसन संवत 2073—2076 खाता संख्या 28/30 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं

Scanned with CamScanner

तिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0नं0 137, 188, 55 कुल खसरा 3 की कुल 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयानन्द के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयानन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0नं0 137, 188, 55 कुल खसरा 3 की कुल 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयानन्द के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयानन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 भीमसिंह व वादी संख्या 2 मुकेश कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 4 रेशमा को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सह[illegible]क कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
[illegible], जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca